न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प न्यायालय परिसर – सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अदिति पुरोहित , आर.ए.एस.

म्युटेशन अपील सं. 13/2016
दायरा तिथि 18.07.2016
निर्णय तिथि 08.04.2017

अपीलांट–	बनाम :	रेस्पोडेन्ट्स–
नवाराम पुत्र छोगाराम जाति मीणा निवासी कैलाश नगर तह. शिवगंज , जिला–सिरोही		1. सरपंच ग्राम पंचायत कोरटा 2. तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर तह. सुमेरपुर , जिला–पाली

म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 R.L.R.Act,1956
(विरूद्ध ग्राम कोरटा का म्युटेशन सं. 751 (761) दिनांक 05.10.2015 जो सरपंच, ग्राम पंचायत कोरटा द्वारा स्वीकार किया गया है, को निरस्त करने बाबत्)

उपस्थितः–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हंसाराम मीणा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 08.04.2017

उपरोक्त म्युटेशन अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प– न्यायालय परिसर सुमेरपुर में आज पेश हुई। प्रश्नगत् मामले में हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस दलील को सुना व मनन–विचारण किया एवं साथ ही पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप हमने पाया कि अपीलांट ने यह म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 R.L.R.Act, 1956 के तहत एवं अपील डिले को कन्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा कोरटा पटवार सर्कल कोरटा तहसील सुमेरपुर के कृषि भूमि हाल खसरा नं. 209 रकबा 7.85 हेक्टर किस्म चाही सोयम जाव दोयम का 1/4 एवं खसरा नं. 758 रकबा 0.47 है. किस्म चाही सोयम जाव दोयम का 2/3 हिस्सा की भूमि अपीलांट ने खातेदार रामाराम पुत्र छोगाराम जाति मीणा निवासी कोरटा निवासी हाल निवासी कैलाशनगर तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राजस्थान) से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 23.03.2015 पुस्तक सं. 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 53 क्र.सं. 2015001108 पर पंजिबद्ध होने पर खरीद किया है। खरीद सुदा भूमि पर अपीलांट का लगातार कब्जा कास्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 751 (761) दिनांक 05.10.2015 को स्वीकृत करने हेतु इस्तदुआ की। प्रश्नगत् अपील म्युटेशन स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस द्वारा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करके विधिक रूप से भारी भूल की है।

(2) कि अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में पंजीकृत विक्रय पत्र में खरीदकर्ता को मौके पर कब्जा सुपुर्द करना अंकित होने से राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र क्रमांक/राम/भूअ/जी–3/प–192/97/7106–37 दिनांक 19.05.2004 अनुसार एलआर (रेकर्ड) नियम–133 (सी) के तहत– पंजीकृत विक्रय पत्र मे प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा देने का अंकित कर देने पर यह नामान्तरकरण तस्दीक करने वाले अधिकारी को कब्जे की जांच करना आवश्यक नही है। उसे विक्रय पत्र के आधार

लगातार पेज 2.....

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पर नामान्तरकरण तस्दीक करना बाध्यकारी है। वकील अपीलांट द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्डस) रूल्स नियम 132–133 व उक्त वर्णित परिपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की। रेस्पोण्डेण्ट सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत, कोरटा बावजूद नोटिस प्राप्त के उपस्थित नही होने से रेस्पोण्डेण्ट सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें नायब तहसीलदार (सरकारी पैरोकार) ने पंजीकृत विक्रय विलेख अनुसार कथित नामान्तरणकरण संख्या 751 (761) को स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है।

(3) कि हमने पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज, अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परिपत्र व सरकारी पैरोकार के जवाब का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर मनन किया। प्रश्नगत् मामले में पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि व अभिव्यक्त कथनों, बहस तथ्यों एवं न्यायिक उद्धरणों में अभिव्यक्त व्यवस्थाओं पर विचारण करने के पश्चात् हम, अपीलांट अधिवक्ता के तथाकथित बहस तथ्यों से पूर्णतः सहमत है और हमारी विधिक राय है कि अपीलाधीन म्युटेशन अपील को अन्दर अवधिकाल मानते हुए अपीलाधीन म्युटेशन सं. 751 (761) दिनांक 05.10.2015 को जिसे सरपंच, ग्राम पंचायत कोरटा ने असंवैधानिक व विधि–विरूद्ध अस्वीकार किया है, की ऐसी सम्पूर्ण कार्यवाही प्रथमतः पूर्णतया असंवैधानिक, विधि–विरूद्ध व ऐब–इनिसियो वॉईड होने से इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करके यह मामला तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर इस आशय का निर्देश दिया जाना उचित समझते है कि वे कथित प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि बाबत् अपीलांट के हिस्से की खरीद सुदा खातेदारी भूमि का विधिक रूप से वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने की विधिवत् कार्यवाही सुनिश्चित करे।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः अपीलांट की यह अपीलाधीन म्युटेशन अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के कतिपय प्रावधानों के तहत अपीलाधीन म्युटेशन अपील को अन्दर अवधिकाल मानते हुए स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन सं. 751 (761) दिनांक 05.10.2015 को जिसे सरपंच, ग्राम पंचायत कोरटा द्वारा असंवैधानिक व विधि–विरूद्ध अस्वीकार किया है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, साथ ही यह मामला तहसीलदार सुमेरपुर को रिमाण्ड कर निर्देश दिए जाते है कि वे कथित प्रकरण में विवेचित तथ्यों को ध्यान में रखतें हुए एवं दोनो पक्षो को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2017 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प–न्यायालय परिसर सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर(पाली)

Scanned by CamScanner